तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
6/6/25	पत्रावली प्रा०पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई का स्वीकार हो जाने पर आज पेश हुई। अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया हुआ है, जो शा० मिसल किया गया। प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई जा चुकी है। वकील अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने कथन किया की हमने जवाब पेश कर दिया है। बहस सुनी जाकर हमारे विरुद्ध जारी एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश अपास्त किया जावें। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 के कथन किया कि हम विवादित भूमि के सहखातेदार है। एक सहखातेदार के विरुद्ध दुसरा सहखातेदार स्थगन प्राप्त नही कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर हक व अधिकार होता है। इनके द्वारा पूर्व में वाद संख्यां - 63/88 R.T. Act 221 दावा /22 बाबत का व प्रा०पत्र संख्यां - 47/प्रा०पत्र/22 बाबत 212 R.T. Act का पेश किया गया है। इनके द्वारा अपने स्थगन प्रा० पत्र को दिनांक - 31/02/2025 को "Not press" कर दिया गया था। उक्त प्रा०पत्र में भी इन्होंने स्थगन चाहा था, परन्तु न्यायालय द्वारा हमारे विरुद्ध स्थगन जारी नही किया गया। मूल वाद प्राथमिक डिक्री होकर बटवारा रिपोर्ट में लम्बित चल रहा है। जब इनके द्वारा पूर्व T.I. प्रा०पत्र को "Not press" कर दिया गया था, तो इनको नया प्रा०पत्र पेश नही करना चाहिए था। खण्डन में वकील प्रार्थी ने कथन किया की हमने पूर्व में वाद/प्रा०पत्र पेश किया हुआ है। जिसमें बटवारे हेतु इनको कोई आपत्ति नही होने व इनके	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा हमे कोई परेशानी नहीं करने से हमने अपना T.I. प्रा०पत्र "Not Press" किया था। वाद व प्रा०पत्र में इनकी Ex party हो रही है। अब इनके द्वारा बखौरे से मना करने व हमारे कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से हमने न्यायालय में नया प्रा०पत्र पेश किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी किया है, जिसे मूल वाद डिक्री होने तक स्थावत रखा जावें।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों के खण्डन मे वकील अप्रार्थी स० 1 व 2 ने कथन किया की इन्होंने न्यायालय को अंधेरे में रखते हुये यह प्रा०पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया है। हमारे द्वारा यदि कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो इनको पूर्व स्थगन प्रा०पत्र मे आवेदन देकर उसे पुर्नजीवित करवाना चाहिए था, उसमें हमे पुनः नोटिस जारी करवाकर स्वच्छ हाथों से स्थगन प्राप्त करना चाहिए था। इन्होंने हमें बखौरा कराने की कहकर न्यायालय मे हमारे हस्ताक्षर करवा लिये, हमे पूर्व स्थगन प्रा०पत्र की जानकारी नहीं है। हम अनपढ़, ग्रामीण परिवेश के है, हस्ताक्षर उपरान्त हमें कोई तारीख नहीं बताई गई, इस कारण हमारे विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही वाद/प्रा०पत्र में कर दी गई थी, जिसको निरस्त करने हेतु हमने प्रा०पत्र पेश कर दिये है। हम विवादित भूमियों के सह खातेदार है, हमने बखौरे से इन्कार नहीं किया किया है। हमने इनको कब-कब दखलन्दाजी की धमकी दी का अंकन प्रा०पत्र मे नहीं है। हमे स्थगन की आड मे हमारे हको व अधिकारो से वंचित होना पड रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O →

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में जारी
	हमारे विरुद्ध जारी स्थगन अपास्त किया जावे।	

खण्डन में वकील प्रार्थी ने कथन किया की इन्होंने बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया हुआ है, और उसको बेचान पर आमदा है, अतः स्थगन प्रभावी रखा जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया की विवादित भूमियो में हम हिस्सेदार है, और भूमियो में निहित हमारे हिस्से पर काश्त करने, बेचान करने से ये हमें बाध्य नही कर सकते है, हम किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही कर रहे है। बंटवारे में हिस्से व भूमियाँ तय होनी है, जो कि "बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" होगा, तो फिर हमारे विरुद्ध स्थगन क्यों प्रभावी रहे। स्थगन अपास्त किया जावें। समर्थन में विनिर्णय DNJ (Rev.) 2021 पेज न॰ 414 व DNJ (Rev.) 2025 Ist पेज न॰ -134 एवं DNJ (Rev.) 2023-IInd पेज न॰ 1427 पेश किये है।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विनिर्णयो पर प्रकाश डाला। विवादित भूमि खाता सं॰ 96, 97, 98 वाके ग्राम पेच की बावडी प॰स॰ पेच की बावडी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। सहखातेदार की भूमियों प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर 2 हक व अधिकार होता है। किसी भी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि की हद तक उसके उपयोग, उपभोग, रहन, बेचान करने से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। वकील अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचन उपरान्त न्यायालय स्थगन प्रा॰पत्र हेतु निर्धारित तीनो बिन्दुओं का निम्नानुसार निर्धारण करता है :→

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

(1) प्रथम दृष्टया मामला → विवादित भूमियाँ खाता

P.T.O.

नम्बर अहकाम हुक्म को ... में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संख्या - 96 के ख०न० 359 रकबा 1.0198 मे प्रार्थी सं. 1 बरदीबाई का 2/63 व प्रार्थी सं. 2 हुलिबाई का 2/63 हिस्सा व खाता सं० 97 के ख०न० 350, 351, 352, 542, 543, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 586, 587, 588, 589, 631, 632, 633, 634, 635 कुल किता 29 कुल रकबा 5.9974 है. प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/6-1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/6-1/6 हिस्सा निहित है, इसी प्रकार खाता संख्या 98 के ख०न० 357 रकबा 0.3318 हैक्टेयर मे प्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/6-1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या - 1 व 2 का 7/48-7/48 हिस्सा निहित है। उपरोक्त विवादित भूमियो मे प्रार्थी सं. 1 व 2 एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अलावा अन्य सहखातेदारो का जमाबन्दीनुसार हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित भूमियो मे प्रत्येक इंच मे प्रत्येक सहखातेदार का बराबर 2 हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है, क्योंकि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त → विवादित भूमिया सहखातेदारी में दर्ज होने व सभी सहखातेदारो का समान लगाव बराबर 2 हक व अधिकार निहित होने से प्रकरण मे सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में नही बनता है।

3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना → प्रार्थीगण विवादित भूमियो का सहखातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा यदि विवादित भूमियो मे से अपने हिस्से की भूमियो का खुद बेचान किया जाता है, तो प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर उसके कोई प्रभाव नही पड़ेगा। क्योंकि अप्रार्थी सहखातेदारी भूमि मे से किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही कर सकते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को किसी अपूरणीय क्षति की सम्भावना

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O →

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नहीं बनती है। उपरोक्त तीनो बिन्दुओ में अंकित निष्कर्ष अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा सतुंलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में नहीं होने व प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 28/04/2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त (Vacant) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली